न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 84/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

श्रीराम हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, प्लॉट संख्या–245 एवं 246, 2nd फ्लोर, ओमकारम टावर, हनुमान नगर–डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान–302021 जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजेश कुमार चौधरी

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **पूजा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश**
   पताः– वार्ड नम्बर 39, धोबियों की मस्जिद, बालाजी मन्दिर के पास, सीकर, राजस्थान–332001
2. **रवि प्रकाश पुत्र संतोष शर्मा**
   पताः– वार्ड नम्बर 39, वैष्णव कॉलोनी, धोबियों की मस्जिद, बालाजी मन्दिर के पास, सीकर, राजस्थान–332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 18 नवम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **पूजा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश** एवं **रवि प्रकाश पुत्र संतोष शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **पूजा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश** के स्वामित्व की **आवासीय सम्पति भूखण्ड संख्या–321, पट्टा संख्या–20062, वार्ड संख्या–53, वैष्णव कॉलोनी, पिपराली रोड, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भंवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिसका **कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भूखण्ड संख्या–347 एवं 348 (शंकर लाल स्वामी का मकान), पश्चिम दिशा में रास्ता 15 फीट, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या–320 (ताराचन्द सैनी का मकान) एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या–322 (नरेश स्वामी का मकान) स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर रू. 14,16,522/– (अक्षरे रूपये चौदह लाख सोलह हजार पांच सौ बाईस) एवं रू. 8,77,533/– (आठ रूपये लाख सतत्तर हजार पांच सौ तैंतीस **कुल 22,94,055/– रूपये (अक्षरे रूपये बाईस लाख चौरानवे हजार पचपन)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **पूजा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश** एवं **रवि प्रकाश पुत्र संतोष शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **पूजा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश** के स्वामित्व की **आवासीय**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सम्पति भूखण्ड संख्या–321, पट्टा संख्या–20062, वार्ड संख्या–53, वैष्णव कॉलोनी, पिपराली रोड, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भंवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका **कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भूखण्ड संख्या–347 एवं 348 (शंकर लाल स्वामी का मकान), पश्चिम दिशा में रास्ता 15 फीट, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या–320 (ताराचन्द सैनी का मकान) एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या–322 (नरेश स्वामी का मकान) स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 नवम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर